प्र.सं. ...../ दावा / प्र.पत्र / .....

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख हुकम
	वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 151 जा0दी0 पर जवाब प्रस्तुत नही किया गया पूर्व मे कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 151 जा0दी0 का जवाब बंद किया जाकर सीधे बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा0दी0 मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रस्तुत वाद पत्र मे वर्णित कृषि भूमि ख0स0 663, 668 व 705 वाके ग्राम पीपल्दा हाडो का के सम्बन्ध मे एक अन्य वाद 219ध्2007 बउनवान गोविन्द सिंह बनाम बहादुर सिह वास्ते कृषि भूमि विभाजन, अधिकार घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती बाबत् पूर्व से ही जैरकार है पूर्ववर्ती वाद मे एवं इस वाद मे कृषि भूमि पक्षकार एवं वाद कारणध्अनुतोष समान है। वाद नरेन्द्र प्रताप बनाम तेजराज सिंह पश्चातवर्ती वाद है जिसमे वादी नरेन्द्र प्रताप सिंह व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 स्व0 किशन सिंह की सन्ताने है। स्व0 किशन सिंह पूववर्ती वाद गोविन्द सिंह बनाम बहादुर सिंह मे प्रतिवादी होने से स्व0 किशन सिंह के उत्तराधिकारी के रूप मे दर्ज होने के अधिकारी एवं आवश्यक पक्षकार है। ऐसी स्थिति मे विधि अनुसार समान पक्षकार एवं समान विषयवस्तु होने पर पश्चातवर्ती वाद को पूर्ववर्ती वाद के निस्तारण तक उसकी कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि पूर्ववर्ती वाद मे वाद वर्णित भूमि अन्तर्गत इस वाद मे वर्णित आराजी के अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बरान भी सम्मिलित है एवं पक्षकार भी पृथक-पृथक है, वादी द्वारा केवल अधिकार घोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है ऐसी स्थिति मे इस वाद को स्थगित किये जाने पर वादी के हितो के उपर विपरित प्रभाव पडेगा। अतः प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस उभयपक्ष पर मनन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया साथ ही पूर्ववर्ती वाद को न्यायालय मे तलब कर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावलियॉ एवं बहस पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि पूर्ववर्ती वाद मे वर्णित आराजी एवं पक्षकार समान है एवं दोनो ही वाद मे वांछित अनुतोष मे भी एकरूपता प्रतीत होती है ऐसी स्थिति मे समान भूमि पर दो पृथक-पृथक वाद एक ही समय पर जैरकार रखे जाने से विरोधाभाषी निर्णय होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना प्रत्र प्रतिवादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 10 एवं 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर पश्चातवर्ती वाद को इसी स्तर पर स्थगित किया जाकर पश्चातवर्ती वादी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अनुतोष बाबत् प्रार्थना पत्र एवं पक्षकार बनाये जाने बाबत् पृथक से पूववर्ती वाद मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा0दी0 स्वीकार किये जाने से वाद मे जैरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली नियमानुसार नम्बर से कम हो। बाद तामील नियमानुसार तकमील दाखिल दफ्तर हो।	4/11/25

Scanned with OKEN Scanner